न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट–प्रथम, जयपुर

परिवाद संख्याः 22/2024 GCMS No:- 2024/101

सरकार जरिये अवधेश गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री बनवारी लाल गुप्ता पुत्र श्री कैलाश चंद गुप्ता (विक्रेता एवं मालिक)
मैसर्स के बी ट्रैडिंग कंपनी
बस्सी जिला जयपुर। (मोबाईल–9414320383)
2. अभिषेक कुमार बंसल पुत्र श्री रमेश चंद (निर्माता फर्म मालिक)
मैसर्स गुलाब ट्रेडर्स गुलाब उद्योग ग्राम पोखरीवाला अजमेर दिल्ली
बायपास दौलपुरा टोल प्लाजा जयपुर। 303805

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर

... अप्रार्थी–अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

——

निर्णय दिनांकः 05/03/2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.04.22024 को दोपहर 01.40 पी.एम. पर मैसर्स के बी ट्रैडिंग कंपनी बस्सी पर पहुंचा। वहां पर श्री बनवारी लाल गुप्ता पुत्र श्री कैलाश चंद गुप्ताउपस्थित थे। श्री बनवारी लाल गुप्ता को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री बनवारी लाल ने स्वयं को फर्म का मालिक एवं विक्रेता होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री बनवारी लाल से वर्ष 2024 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा इन्होनें मौके पर फर्म का खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन पत्र एवं स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रतियां प्रस्तुत की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स के बी ट्रैडिंग कम्पनी का निरीक्षण करने पर परिसर में खाद्य पदार्थ 20 पैकेट अमचूर पाउडर पिंक महल ब्रांड (500 ग्राम प्रति पैकेट पैक्ड) में गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 4 पैकेट अमचूर पाउडर पिंक महल ब्रांड (500 ग्राम प्रति पैकेट पैक्ड) बनवारी लाल गुप्ता से खरीदकर उसकी कीमत 212/– रूपये विक्रेता श्री बनवारी लाल गुप्ता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री रजेश पारीक एवं श्री रमेश चंद यादव के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। यह रसीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रतियां तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे खाद्य करोबारकर्ता तथा गवाहान ने भी पढकर, समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 एक की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा अमचूर पाउडर पिंक महल ब्रांड (500 ग्राम प्रति पैकेट पैक्ड) को एकरूप कर चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक के जार विक्रेता एवं गवाहान को

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

दिखाकर उक्त खरीदशुदा अमचूर पाउडर पिंक महल ब्रांड (500 ग्राम प्रति पैकेट पैक्ड) को प्रत्येक जार में बराबर–बराबर डाला एवं प्रत्येक जार पर लेबल लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया। लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं कमांक **AN-4051** दर्ज कया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नंबर **AN-4051** नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से उपर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि हस्ताक्षर पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नंबर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के पत्र कमांक 624 दिनांक 18.06.2024 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस / 1527/एक्ट/2024/2136 दिनांक 07.06.2024 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ अमचूर पाउडर पिंक महल ब्रांड (500 ग्राम प्रति पैकेट पैक्ड) सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय ने पत्र कमांक एफएसएसए/2024/1540 दिनांक 08.11.2024 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि सबस्टैण्डर्ड अमचूर पाउडर पिंक महल ब्रांड (500 ग्राम प्रति पैकेट पैक्ड) का विकय/निर्माण करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे। प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। अप्रार्थीगण/अभियुक्तगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

ओर से अधिवक्ता श्री दीपक अग्रवाल उपस्थित आये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ अमचूर पाउडर पिंक महल ब्रांड (500 ग्राम प्रति पैकेट पैक्ड) का विकय करके अप्रार्थीगणों ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का 2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता संख्या 1 एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने कथन किया कि अप्रार्थी ने अपने स्तर पर किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। अप्रार्थी द्वारा अमचूर पाउडर सूखा ही किसान/आडतियो से कय किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 52 में प्रथम बार खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड/सबस्टैण्डर्ड आने पर आने पर शास्ति माफ करने का प्रावधान है। इसलिए परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध शास्ति माफ करने की कृपा करें एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी–अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्डयुक्त खाद्य पदार्थ मावा अमचूर पाउडर पिंक महल ब्रांड (500 ग्राम प्रति पैकेट पैक्ड) का विकय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ अमचूर पाउडर पिंक महल ब्रांड (500 ग्राम प्रति पैकेट पैक्ड) सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थीगण–अभियुक्तगण पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रू 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) लगाई जाती है। अप्रार्थी–अभियुक्त जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

(विनिता सिंह)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट–प्रथम जयपुर